कार्यालय राज्य संग्रहालय

श्यामला हिल्सभोपाल (म.प्र.)

क्रमांक 0295/रा.सग्र./एफ–09/2016 भोपाल, दिनांक 06/09/2016

निविदा आमंत्रण सूचना

राज्य संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल परिसर में स्थित कैंटीन संचालन के इच्छुक ठेकेदार/संस्थाओं से कैंटीन के संचालन हेतु मुहर बन्द निविदाए आमंत्रित की जाती है। निविदा प्रपत्र दिनांक 20.09.2016 तक (कार्यायलीन समय मे) निविदा प्रपत्र राशि भुगतान कर प्राप्त किये जा सकते है। निविदाये कार्यालय में (कार्यायलीन समय मे) दिनांक 21.09.2016 को दोपहर 02:00 बजे तक प्राप्त की जावेंगी एवं प्राप्त निविदाये उसी दिनांक 21.09.2016 को दोहपर 03:00 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं अथवा उनके प्रतिनिधियों के समक्ष कार्यालय में समिति द्वारा खोली जावेंगी। उक्त निविदा सूचना का प्रकाशन विभाग की वेब साईट archeology.mp.gov.in एवं mp.tenders.gov.in पर भी किया जा रहा है।

क्र.	कार्य का नाम	क्षेत्रफल लगभग	बयाने की राशि	निविदा प्रपत्र का मूल्य	समयावधि
1	राज्य संग्रहालय श्यामला हिल्स भोपाल परिसर में स्थित कैंटीन का संचालन	360.00 वर्गमीटर	10,000/– (रू. दस हजार मात्र)	300/– (रू. तीन सौ मात्र) वापसी योग्य नहीं।	02 (दो) वर्ष

नियम एवं शर्ते

1. कैंटीन का न्यूनतम किराया राशि रू. 2,500/– (रू. दो हजार पांच सौ मात्र) प्रतिमाह शासन द्वारा निर्धारित है।
2. बिजली का बिल सबमीटर की रिडिंग अनुसार वाणिज्यिक दर से संबंधित ठेकेदार/संस्था को प्रतिमाह कार्यालय जमा करना होगा।
3. पानी का बिल नियमानुसार प्रतिमाह कार्यालय में जमा करना होगा।
4. फर्नीचर इत्यादि की व्यवस्था संबंधित संस्था/ठेकेदार को स्वयं करना होगी।
5. नगर पालिका निगम से खाद्य प्रदार्थ विक्रय हेतु लायसेंसशुदा ठेकेदार/संस्था ही निविदा के लिये पात्र होंगे।
6. निविदा स्वीकृत होने पर कैंटीन के लिये राशि रू. 10,000/– (रू. दस हजार मात्र) मात्र की राशि सुरक्षा निधि पोस्ट आफिस/राष्ट्रियकृत बैंक जो कि दो वर्ष के वैद्य हो संग्रहाध्यक्ष, राज्य संग्रहालय भोपाल के नाम धरोहर राशि के रूप में जमा करनी होगी। तीन माह तक किराया का भुगतान न होने की स्थिति में राशि राजसात करने की कार्यवाही की जावेगी।
7. कैंटीन का किराया प्रत्येक माह की 05 तारीख तक नगद कार्यालय में अनिवार्यतः जमा करना होगा तथा कार्यालय द्वारा नियमानुसार जमा राशि की पावती प्राप्त करेगा।
8. कैंटीन संचालन बंद करने के लिये संस्था को एक माह पूर्व कार्यालय को सूचित करना होगा तथा अपरिहार्य कारणों से यदि कार्यालय कैंटीन का संचालन बंद कराता है तो एक माह पूर्व संबंधित सूचित किया जावेगा। किराया जमा न होने की स्थिति में लंबित माह का किराया प्रतिभूति राशि/सुरक्षा निधि से काट लिया जावेगा।
9. कैंटीन का संचालन संग्रहालय अवकाश एवं शासकीय अवकाश दिवसों में सुरक्षा की दृष्टि से बंद रखना होगा।
10. अन्य जानकारी कार्यालयीन समय में अधोहस्ताक्षकर्ता के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती है।
11. निविदा स्वीकृत अथवा अस्वीकृत करने का अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
12. किसी भी प्रकार के विवाद का न्याय क्षेत्र भोपाल म.प्र. होगा।

संग्रहाध्यक्ष
राज्य संग्रहालय श्यामला हिल्स
भोपाल

Desktop/surendra/Museum Bhopal2016